स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजागाई येथील बांधकाम अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीए-२०२३/प्र.क्र.५४७/प्रशा-१,
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल,
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१.
दिनांक : ११ मार्च, २०२४

**वाचा :**
१) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ /१११५ / प्र.क्र ४२३ (अ)/ प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ /१११५ / प्र.क्र ४२३ (क) / प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८
३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ /१११५ / प्र.क्र ४२३ / प्रशा -१, दिनांक २४.१२.२०१८
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/अंबाजोगाई/वर्ग-१-२ निवासस्थान व PG वसतीगृह/३७०८/आय-प/ २०२३, दिनांक १०.११.२०२३.
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.९/इमा-१, दि. २६.०२.२०२४

**शासन निर्णय :**

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजागाई येथे वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांसाठी अनुक्रमे ४० व ६० निवासस्थाने आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी १५० क्षमतचे वसतीगृह बांधकाम करण्यासाठी मा.उच्चस्तरीय सचिव समितीने त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रुपये १०२,५०,१४,८०८/- (रुपये एकशे दोन कोटी, पन्नास लक्ष, चौदा हजार, आठशे आठ मात्र) इतक्या रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासण्यात आलेली RECAPITULATION SHEET सोबत जोडण्यात आलेली आहे.

| अ.क्र. | बांधकामाचे नाव | अदांजित किंमत |
|---|---|---|
| १. | Construction of Residential Quarters for the Doctors (Class-I 40 Quarters) (Class-II 60 Quarters) and 150 P.G. Students Hostel Building in the premises of SRTM Medical College Campus, Ambajogai Dist. Beed | १०२,५०,१४,८०८ |
| | एकूण | १०२,५०,१४,८०८ |

<u>अटी</u> :-

१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी.

२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी.

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - २०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात.

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत.

७) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी.

८) खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञामार्फत इमारतीचे काम करण्यात येत असल्यास, त्या इमारतीचे आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञाकडून साक्षांकीत करून घेण्यात यावे.

९) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, याद्दष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे.

२. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ३ येथे नमूद शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग दिनांक ०८.०२.२०१८ व दिनांक २४.१२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार सदर बांधकाम केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनी व तत्सम कंपनी मार्फत टर्न की तत्वावर करून घेण्याबाबत शासनाचे निर्देश आहेत.

सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून भागविण्यात यावा.

मागणी क्रमांक : एस-०४

| | | |
|---|---|---|
| ४२१० | - | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च |
| ०३ | - | वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन |
| १०५ | - | विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना |
| (००) (५३) | - | शासकीय वैद्यकीय/दंत आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत<br>४२१० २६२५<br>५३- मोठी बांधकामे |

३. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १६.०२.२०२४ रोजी आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्राप्त सहमती व त्यानुषंगाने प्राप्त इतिवृत्तानुसार तसेच

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११३३६५७३५१३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

SUDHIR JAYA SHETTY

Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AF0FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY
Date: 2024.03.12 18:38:04 +05'30'

**(सुधीर जया शेट्टी)**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

प्रति,

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
६. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई
७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई.
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम सर्कल, धाराशीव.
१०.अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय वैद्यकीय महाद्यिालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड
१२.कार्यासन अधिकारी (कार्या क्र.इमा.१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१३.निवडनस्ती (प्रशा-१).

**Name of the Department : Medical Education and drugs Department**

**Name of Work : Construction of Residential Quarters for the Doctors and Officers ( Class-I 40 Quarters) ( Class-II 60 Quarters) and 150 P.G. Students Hostel Building in the premises of SRTM Medical College Campus, Ambejogai Dist. Beed**

**Executing Agency - Public Works Department**

**Land Availability - Yes**

**Architect - Government**

**RECAPITULATION SHEET**

| Sr. No. | Particulars of Scope | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum etc.) | | Cost Rs. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Component Wise | Total |
| **(A)** | **ESSENTIAL ITEMS (Components)** | | | | | |
| 1 | **Building proper (Built Up Area - Sq.m)** | | | | | |
| | Parking Floor ( Class-I 40 Quarters) | 996.00 | Sq. M | 15,000 | 14,940,000 | |
| | 1st to 5th floor ( Class-I 40 Quarters) | 4,980.00 | Sq. M | 28,000 | 139,440,000 | |
| | Parking Floor ( Class-II 60 Quarters) | 1,290.00 | Sq. M | 15,000 | 19,350,000 | |
| | 1st to 5th floor ( Class-II 60 Quarters) | 6,450.00 | Sq. M | 28,000 | 180,600,000 | |
| | Ground Floor to 6th floor (Students Hostel) | 8,283.10 | Sq. M | 28,000 | 231,926,800 | |
| | Dinning Hall (Ground Floor) | 911.40 | Sq. M | 28,000 | 25,519,200 | |
| | **Total B.U.A. =** | **22910.50** | **Sq. M** | | **Sub Total (A-1)** | **611,776,000** |
| 2 | Electrification | Internal | | 5% of (A-1) | 30,588,800 | |
| | | External | | 6% of (A-1) | 36,706,560 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | @ 400/sq.mt. | 9,164,200 | |
| | Lifts | 12 | | 2,000,000 | 24,000,000 | |
| | Pump house, bore well etc | | | L.S. | 3,000,000 | |
| | Area lighting,CCTv, Generator etc. | | | L.S. | 3,000,000 | |
| | | | | | **Sub Total (2)** | **106,459,560** |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A-1) | | **Sub Total (3)** | **30,588,800** |
| 4 | Furniture (Only for Hostel) | 2,758.35 | Sq. M | 5000 | **Sub Total (4)** | **13,791,750** |
| | | | | | **Sub Total (A)** | **762,616,110** |
| **(B)** | **MISCELLANEOUS ITEMS** | | | | | |
| | Compound Wall & Gate (Rmt.) | 600.00 | Rmt | 8000 | 4,800,000 | |
| | Water Main Storage | 100000 | Litres | 23 | 2,300,000 | |
| | Internal /Approach Roads, Land Development, Parking, Land Scaping Etc. | | 4.5% of (1) | | 27,529,920 | |
| | | | | | **Sub Total (B)** | **34,629,920** |
| | | | | | **Project Cost (P)= (A) + (B)** | **797,246,030** |
| **(C)** | **PROVISIONS** | | | | | |
| | **(i) Contingencies 4% on (sub total A-1)** | | | | **24,471,040** | |
| | **(ii) GST 18% on (P)** | | | | **143,504,285** | |
| | **(iii) Price Escalation 5% on (P)** | | | | **39,862,302** | |
| | **(iv) Architectural Fees 1.5% on (P)** | | | | **11,958,690** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **(vii) Labour Insurance 1% on (P)** | **7,972,460** | |
| | | **Sub Total (C)** | **227,768,778** |
| | **TOTAL COST OF PROJECT (TPC)** | **(A+B+C)** | **1,025,014,808** |
| | | **Say Rs. Lakhs** | **10250.15** |

-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Bldg Civil (A1)** | `= | **Rs** | **26,703** | **/Sqm** |
| **2** | **Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A)** | `= | **Rs** | **33,287** | **/Sqm** |
| **3** | **Total (A +B)** | | | **34,798** | **/Sqm** |